

प्रपत्र-2.4

भाग-V

(वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अपर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो, द्वारा भरा जाना है)

परियोजना विवरण : उत्तराखण्ड राज्य में 126 कि०मी० ऋषिकेश-कर्णप्रयाग नई ब्रॉड गेज रेल लाईन निर्माण ।

- 18 राज्य सरकार की सिफारिश: (उपर्युक्त भाग-II या भाग-III या भाग-IV में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गयी प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाए)

दिनांक
स्थान

नाम और पदनाम
सरकारी मोहर

हस्ताक्षर